



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल  
निं. 2484-8/16 प्र0कं0-निगरानी / 16 राजगढ़

शिवनारायण दांगी पुत्र स्व0श्री देवीलाल  
निवासी-ग्राम हालाहेड़ी, तह0 खिलचीपुर,  
जिला राजगढ़ (म0प्र0) — निगरानीकर्ता  
विरुद्ध

- (1) मध्यप्रदेश शासन
- (2) हजारीलाल पुत्र श्री हीरालाल  
निवासी-ग्राम हालाहेड़ी, तह0 खिलचीपुर,  
जिला राजगढ़ (म0प्र0) — प्रत्यर्चीमण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959

महोदय,

विद्वान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्र0कं0-318/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 23.04.16 जिसके द्वारा उन्होंने माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला राजगढ़ द्वारा अपील प्र0कं0-20/अ-55/13-14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 जिसके द्वारा प्र0कं0-2/अ-55/11-12 श्रीमान अ0वि0अ0 महोदय खिलचीपुर जीरापुर की ओर से श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय खिलचीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2014 स्थिर रखते हुए क्षेत्राधिकार के आधार पर निरस्त की गयी, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर निम्नानुसार यह निगरानी जानकारी दिनांक से मय धारा-5 समयावधि विधान के समयावधि में प्रस्तुत है।

25.7.16  
कमल कुमार  
श्री मेहरारोषि  
65 नं० 2 एम  
5/32

26.7.2016

26.7.16

~~10~~

आवेदक की ओर से <sup>प्रस्तुतकार</sup> श्री  
 महवान सिंह आग्निभाषक उपस्थित।  
 प्राथम्यता पा वक के दौरान आवेदक  
 के आग्निभाषक ने केवल अनुकम्पना  
 अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत  
 करने की अनुमति चाही गई।

1 मिनट उचित

अनुमति दी जाती है। उस प्रकल्प  
 में कार्यवाही शीघ्र ही होने से  
 समाप्त ~~की जाती है~~। किया  
 जाता है।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
अध्यक्ष